<u>प्रकीर्ण वाद संख्या 25 वर्ष 2020 अर्पित खरे प्रति राकेश आदि, संबंधित एम.ए.सी.पी नं. 348 वर्ष 2018</u>

<u>17/4/2020</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सुना गया। प्रार्थी श्री अर्पित खरे वीडियो कांफ्रेंसिंग पर उपस्थित है। मूल पत्रावली 348 वर्ष 2018 कोरोना वायरस के बढ़ते प्रसार पर लाकडाउन के कारण तलब होकर नहीं आ सकी है। इस प्रकीर्ण वाद में मूल पत्रावली में पारित निर्णय/अवार्ड की सत्यापित प्रति अवस्थित है, अतः मामले के निपटारे के लिए मूल पत्रावली की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 14/12/2019 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उभय पक्ष के मध्य समझौते के आधार पर प्रार्थी श्री अर्पित सक्सेना के पक्ष में ₹1,60,000 की प्रतिकर धनराशि एम.ए.सी.टी./अपर जिला जज न्यायालय कक्ष संख्या एक झांसी द्वारा अवार्ड की गई थी जिसका भुगतान चोलामंडलम एम एस जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा चेक संख्या 889206 (एचडीएफसी बैंक) के माध्यम से कर दिया गया था। यह धनराशि इस ट्रिब्यूनल के पंजाब नेशनल बैंक के खाते में जमा है। इसी धनराशि को प्राप्त करने के लिए प्रार्थी श्री अर्पित खरे द्वारा यह प्रकीर्ण वाद प्रस्तुत किया गया है। श्री अर्पित खरे का शपथ पत्र पत्रावली पर अवस्थित है जिसके अनुसार अवार्ड के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई है और न ही विचाराधीन है। श्री अर्पित खरे व उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि श्री अर्पित खरे स्वयं को मोटर वाहन दुर्घटना में आई चोटों पर यह अवार्ड हुआ था। श्री अर्पित खरे ने अपना खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में होना बताया है तथा खाता संख्या 3795798024 बताते हुए बैंक खाते की पासबुक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए साझा की है। अवार्ड के अनुसार अवार्ड की संपूर्ण धनराशि या उसके किसी भाग के सावधि जमा का कोई निर्देश नहीं है।

उक्त परिस्थितियों के आलोक में मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि श्री अर्पित खरे को अवार्ड की गई धनराशि ₹ 1,60,000 मय अर्जित ब्याज श्री अर्पित खरे के खाते में आरटीजीएस/ नेफ्ट के जरिए ट्रांसफर कर दी जानी चाहिए।

<u>आदेश</u>

पंजाब नेशनल बैंक झोकन बाग झांसी को आदेशित किया जाता है कि श्री अर्पित खरे को **<u>एम.ए.सी.पी नं. 348 वर्ष 2018</u>** में अवार्ड की गई धनराशि ₹ 1,60,000 **(एक लाख साठ हजार)** मय अर्जित ब्याज श्री अर्पित खरे के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाता संख्या 3795798024 में आरटीजीएस/ नेफ्ट से ट्रांसफर करके उसका प्रमाण इस ट्रिब्यूनल में दाखिल करें। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना न्यायाधिकरण
झांसी